



फा.स.: एसओजेएमसीएंडएनएम /2-6/हि.प्र.के.वि./2012/1932

दिनांक: 14/09/2021

फ्रीशिप/ शुल्क रियायत सम्बंधी अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पत्रकारिता जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल के सभी विद्यार्थियों को अधिसूचित किया जाता है कि फ्रीशिप/शुल्क रियायत (Freeship) के लिए आवेदन फार्म द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अतः इस हेतु आवेदन फार्म को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

विद्यार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन को दिनांक 22 सितम्बर, 2021 तक अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय में जमा करवाएं। इस तिथि के बाद फ्रीशिप / शुल्क रियायती के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

न्यूनतम पात्रता: (अधिनियम 10 के अनुसार)

1. विधार्थी के परिवार की सभी स्रोतों से आय ₹ पांच लाख (Lakhs 05) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. इस सम्बन्ध में तहसीलदार या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र चाहिए, जोकि एक वर्ष से अधिक अवधि पुराना नहीं होना चाहिए।
3. विधार्थी ने किसी भी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की हो।
4. द्वितीय सेमेस्टर में नामांकित छात्रों के कालीफाईंग परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।
5. चतुर्थ सेमेस्टर में दाखिल छात्रों ने पिछले सेमेस्टर में न्यूनतम 55% अंक या बी ग्रेड मैरिट में अर्जित किए हों और उनके द्वारा किए गए सभी पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।
6. इसके आलावा उनका व्यवहार संतोषजनक होना चाहिए और उन्हें किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को बिगाड़ता है।
7. सत्र के दौरान आवेदक की सभी पाठ्यक्रमों में कम से कम 75% ऑनलाइन उपस्थिति हो।

अधिष्ठाता,
पत्रकारिता जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल

प्रति:

1. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. वित्त अधिकारी, हि.प्र.के.वि. के सूचनार्थ हेतु।
3. कुलसचिव, हि.प्र.के.वि. के सूचनार्थ हेतु।
4. कुलपति के सहायक कुलसचिव, माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ हेतु।

अधिष्ठाता,
पत्रकारिता जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल